रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल
Railway Recruitment Cell, West Central Railway
आर.बी.-IV, 290, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर.482001
RB- IV, 290, Station Road, South Civil lines, Jabalpur-482001
Website:-www.wcr.indianrailways.gov.in

सत्यमेव जयते

अधिसूचना संख्या 01/2021 जीडीसीई – एनटीपीसी (स्नातक) दिनांक : 25.06.2021

आर.आर.सी. वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि	25.06.2021
ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व आवेदन भरने के लिए खुलने की तिथि एवं समय	26.06.2021
ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व आवेदन भरने के लिए बंद होने की तिथि एवं समय	25.07.2021 (23:59 बजे तक)

सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) के लिए ऑनलाईन आवेदन

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ नीचे दर्शाई गई रिक्तियों के अनुसार जीडीसीई कोटा के तहत एनटीपीसी (स्नातक) के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के पात्र कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

कोटि क्र.	एनटीपीसी – स्नातक					विभाग	पदों की संख्या				
	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	पे स्केल	पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्तता	चिकित्सा श्रेणी		सामा	अजा	अजजा	ओबीसी	कुल
1	स्टेशन मास्टर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष	लेवल 6	नहीं	ए–2	परिचालन	18	05	03	12	38

टिप्पणी : उपरोक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं है तथा ये उम्मीदवारोंपर सामान्यतः लागू होते हैं। उम्मीदवारों को यह सूचितकिया जाता है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के अध्याय 5 का अध्ययन कर लें, जो www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे ए–2 चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं हैं।

उम्मीदवारों को यह सलाहदी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि चिकित्सा मानकों के अनुसार वे पात्र हैं। निर्धारित मेडिकल उपयुक्तता उत्तीर्ण करने में विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को पद के लिए पैनल में रखने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश – ऑनलाइनपंजीकरण एवं आवेदनजमा करना

1. पैनल के गठनतक उम्मीदवारों को पश्चिम मध्य रेलवे का सेवारत् कर्मचारी होना चाहिए। उम्मीदवार जो पमरे से इस्तीफा दे देगा या अन्य रेलवे में स्थानांतरित हो जाएगा, को पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात 25.07.2021 को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
3. ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों कोसलाहदी जाती है कि वे आरआरसी की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021) पर उपलब्ध अधिसूचना में सभी निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएं और फर्जी वेबसाइटों और नौकरी के रैकेटर्स से बहुत सावधान रहें।

5. उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर, वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए और उन्हें भर्ती की पूरी अवधि के लिए सक्रिय रखना चाहिए क्योंकि आरआरसी केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सभी भर्ती संबंधी संचार भेजेगा, जब तक कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न हो जाये। आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

6. आवेदन "केवल ऑनलाइन" और आरआरसी वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021) के माध्यमसे जमा किए जाने हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार परही उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को डाक द्वारा आरआरसी को आवेदन या प्रमाण पत्र या प्रतियों के प्रिंटआउट भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छुपाया है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता हैउनकी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

   अंतिम तिथि तक आवेदन जमा करने के बाद भी उम्मीदवार आवेदन विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइलनंबर को संशोधित कर सकते हैं।

8. अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है किवे अंतिम तिथि से बहुत पहले पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन जमा करें क्योंकि भारी भार के कारण आरआरसी की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/विफलता की संभावना हो सकती है। ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट या वेबसाइट पर आरआरसी उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर पंजीकरण और/या अपना आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने के लिए किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है।

9. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी)।/2002/पीएम 2/9 दिनांक 11.08.2003 के अनुसार आरपीएफ/आरपीएसएफ के कर्मचारी जीडीसीई योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

10. जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी नियमित कर्मचारी, ग्रेड पे/स्केल से कम 7वें सीपीसी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए जीडीसीई आयोजित की जा रही है, वे जीडीसीई चयन में शामिल होने के लिए पात्र हैं।

11. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी नियमित कर्मचारी, जैसा की ऊपर बताया गया है, उसी 7वें सीपीसी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए जीडीसीई आयोजित किया जा रहा है, वे गैर–संरक्षा से संरक्षा श्रेणी के पदों के साथ–साथ संरक्षा श्रेणी के पदों पर चयन के लिए पात्र हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश – परीक्षा प्रक्रिया

1. कदाचार : किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में किसी भीप्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजते पाया गया तो रेलवे भर्ती बोर्ड/आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में उपस्थिति होने से आजीवनवंचित कर दिया जाएगा। उसेरेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

2. प्रतिबंधित आइटम : परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, ब्लू टूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी या कोई अन्यसंचार उपकरण या पेन/पेंसिल, वॉलेट/पर्स, बेल्ट, जूते धातु के वस्त्र और जैसे गहने आदि लाना सख्त मना है। इस निर्देशका कोई भी उललंघन भविष्य की परीक्षाओं से रोक सहित कानूनी कार्रवाई के अलावा संक्षिप्त अस्वीकृति देगा। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है किवे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएँ क्योंकि सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

3. परीक्षा के चरण : स्टेशन मास्टर के लिए सिंगल स्टेज कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा।

4. कॉल लेटर : उम्मीदवारों को आरआरसीकी आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से शहर और तारीख की सूचनाएँ ई–कॉल लेटर और ट्रैवल अथॉरिटी (जहाँ भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।

5. विभिन्न चरणों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग : कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी) के लिए शॉर्ट लिस्टिंग रिक्तियों के 08 गुना की सीमा तक होगी।

6. नकारात्मक अंकन : सीबीटी में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी लेकिन कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी) में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

विस्तृत अधिसूचना

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश, उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अधीनहोगा, साथ ही पूर्णतः अस्थायी होगा।

1.2 उम्मीदवारों को मात्र ई–बुलावा पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा उम्मीदवारकी उम्मीदवारी स्वीकार मानी गई है।

1.3 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ परीक्षा के सभीचरणों में योग्य होने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करते हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है। यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता है और यदि नियुक्त किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

1.4 इस अधिसूचना की प्रतिक्रिया में पद (पदों) हेतु आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए किवे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएँ) तथा चिकित्सा मानकोंसहित अन्य पात्रताओं से स्वयं संतुष्ट हैं। उम्मीदवारों को यहसुनिश्चित करना चाहिएकि इस अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन पंजीकृत किए जाने कीअंतिम तिथि 25.07.2021 तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता है। वे उम्मीदवार पात्र नहीं माने जाएँगे जिनकी निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

1.5 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का उल्लेख केवल अपने एसएसएलसी/ मैट्रिक/हाई स्कूल परीक्षाप्रमाण पत्र अथवा किसी समतुल्यप्रमाण पत्र के अनुसार ही करना चाहिए। नाम परिवर्तित होने की स्थिति में उम्मीदवार को ऑलाइन आवेदन में केवल अपनेपरिवर्तित नाम का ही उल्लेख करना चाहिए। तथापि, मैट्रिक अथवा समतुल्यप्रमाण पत्रों में दिए गए अन्य विवरण अवश्य अनुकूल होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.6 उम्मीदवार द्वारा सभी दस्तावेजों पर अंग्रेजी अथवा हिंदी में रनिंग हैंड राइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा ये ब्लॉक/बड़े अक्षरोंअथवाअसंबद्ध अक्षरों में नहीं होने चाहिए। कम्प्यूटर आधारितपरीक्षा, कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा इत्यादि (यथा लागू) के समय विभिन्न स्वरूपों में किए जाने वाले हस्ताक्षरों केपरिणामस्वरूप उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

1.7 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर भी परीक्षा की तिथि का प्रकाशन किया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) के लिए ई–बुलावा पत्र केवल आरआरसी की वेससाइट से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाक के द्वारा कोई भी बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। बुलावा पत्र में उल्लेखित परीक्षा केंद्र, तिथि तथा पाली अंतिम है। आरआरसी बिना किसी कारण बताए अतिरिक्त कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षा या अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन आदिआयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.8 अधिसूचना में उल्लेखित रिक्तियॉं अस्थाई हैं तथा यह बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं या किसी विशेष रेलवे/इकाइयों/समुदाय/पदों के संबंध में रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाद में बदल सकती हैं। बाद के स्तर पर भी रेलवे आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं।

रेलवे प्रशासन के पास अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा सभी पर ऐसे निर्णय अंतिम एवं प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होंगे।

1.9 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा चयन पर लिए जाने मात्र से ही कोई उम्मीदवार रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का कार्य योग्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा जोनल रेलवे/मंडल/उत्पादन इकाई को करना है। जहॉ से ऐसी अनुशंसा की प्रक्रिया में रिक्तियों तथा पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी मानदंडों के प्रति संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं।

1.10 जहॉ निर्धारित हो उन मामलों में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान केवल लागू वजीफा का ही भुगतान किया जाएगा।

1.11 सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों को मुफ्त स्लीपर क्लास रेलवे पास स्वीकार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जो यह मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में 'हॉ' भरना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपलोड किए गए वैध जाति प्रमाण पत्र के विवरण के आधार पर, चयन के विभिन्न चरणों यथा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन (जैसा भी लागू हो) में भाग लेने के लिए जारी ई–बुलावा पत्र में मुफ्त शयनयान श्रेणी रेलवे पास भी शामिल होगा। मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें इसके बिना उनका यात्रा प्राधिकार यात्रा के लिए तथा आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क तथा / अथवा टिकट जॉच करने वाले कर्मचारी, उम्मीदवार की यथार्थता के सत्यापन के लिए उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैध प्रमाणपत्र की मॉग कर सकेंगे। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

2.0 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ इस अधिसूचना के तहत आवश्यक और लागू होने पर भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.0 आयु सीमा ऊपरी आयु सीमा, सामान्य उम्मीदवारों (अनारक्षित) के लिए 40 वर्ष, एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष होगी।

रिक्ति तालिका में पद (पदों) के लिए इंगित निचली और ऊपरी आयु सीमा की गणना 01.07.2021 से की जाएगी।

जन्म की कट–ऑफ तिथि नीचे दी गई है :–

आयु समूह	ऊपरी जन्म तिथि			न्यूनतम जन्म तिथि
	सामान्य	ओबीसी	एससी/एसटी	
	18 से 40	18 से 43	18 से 45	01.07.2003
	02.07.1981	02.07.1978	02.07.1976	

3.1 नोट :

अनारक्षित रिक्तयों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग–एनसीएल (गैर क्रीमीलेयर) उम्मीदवारों को कोई आयु छूट की अनुमति नहीं है।

- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है तो उसे अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी, जिसके लिए वह पात्र है।
- उम्मीदवार ध्यान दें कि इस आवेदन में भरी गई जन्म तिथि वहीं होनी चाहिए जो मैट्रिक/एसएसएलसी/दसवीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। इसके बाद परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.0 शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इस जीडीसीई अधिसूचना 01/2021 के पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तिथि पर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और कर्मचारियों की सेवा पंजी में दर्ज होना चाहिए। जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक

योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहें है, **उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**

5.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण

आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय **अनुलग्नक–I** (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए) तथा **अनुलग्नक–II** (अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर क्रीमी लेयर) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा किवे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–स्थापना (आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, दिनांक 13.09.2017 एवं इस अधिसूचना की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबद्ध नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी संबद्धता अन्य पिछड़ा वर्ग–गैर क्रीमी लेयर से होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारुप में अन्य पिछड़ा वर्ग का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान, समुदाय प्रमाणपत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा **अनुलग्नक IIए** के अनुसार निर्धारित प्रारुप में यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर से संबद्ध नहीं हैं। प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र, दस्तावेज सत्यापन के समय एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछा वर्ग–गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन/उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

6.0 भर्ती प्रकिया :

उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आधिकारिक वेबसाइट **www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021)** पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। भर्ती की प्रकिया में प्रथम चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा शामिल है। चयन पूर्ण रूप से मेरिट के अनुसार, उपरोक्त भर्ती चरणों के आधार पर किया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा के लिए तिथि, समय तथा स्थान का निर्धारण रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा और उसकी सूचना उम्मीदवारों को विधिवत् दी जाएगी। उक्त में से किसी भी कियाकलाप का स्थगन, स्थान तिथि तथा पाली में परिवर्तन में बदलाव से संबंधित अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं :

क. गणित

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

ख. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जबलिंग), वेन आरेख, पहेली, ऑकड़ा पर्याप्तता, कथन–निष्कर्ष, कथन–निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

ग. सामान्य जागरूकता

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन–संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कम्प्यूटर और कम्प्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियॉं, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियॉं, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित – 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) – 30%, अनुसूचित जाति – 30%, अनुसूचित जनजाति – 25%,

6.2 कम्प्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी)

अर्हक अंक : उम्मीदवारों कोअर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम 42 अंकों का टी–स्कोर प्राप्त करना होगा। यह समुदाय या श्रेणी अर्थात अजा/अजजा/ओबीसी–नॉन क्रीमी लेयर होने के बावजूद सभी उम्मीदवारों के लिए लागू होता है तथा न्यूनतम टी–स्कोर में कोई छूट स्वीकार्य नहीं है।

स्टेशन मास्टर के रिक्त पदों की संख्या के 8 गुना के बराबर उम्मीदवार को सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा। स्टेशन मास्टर के पद पर विचार करने के लिए उम्मीदवारों को सीबीएटी की प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अर्हता प्राप्तकरनीहोगी। सीबीएटी में केवल अंग्रेजी और हिन्दी में प्रश्न और उत्तर के विकल्प होंगे। सीबीएटी में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

6.3 योग्यता सूची का गठन : स्टेशन मास्टर मेरिट सूची केवल सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की बनाई जाएगी, जिसमें सीबीटी में प्राप्त अंकों के लिए 70% महत्व (वेटेज) और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% महत्व (वेटेज) होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों के नमूनों तथा सीबीएटी के अन्य विवरणों के लिए वे आरडीएसओ की वेबसाइट (www.rdso.indianrailways.gov.in - >Directorates->Psycho Technical Directorate ->Guidelines for Aptitude Test) पर जाएँ।

7.0 अंको का सामान्यीकरण :

जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किया जाता है तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर होगा। सीबीटी के लिए अपनाई गई सामान्यीकरण विधि का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में है।

7.1 बहु–सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंको की गणना ::

सीबीटी आधारित परीक्षा में कुछ परीक्षा समूहों के लिए बहु सत्रों में परीक्षा का अयोजन किया जाएगा। अतः इन बहु सत्र पेपरों के लिए विभिन्न सत्रों में प्रश्न पत्रों के कठिन स्तरों में हुए किसी भी परिवर्तन को समाविष्ट करने के लिए एक उपयुक्त सामान्यीकरण लागू किया जाएगा। बहु सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना हेतु सूत्र नीचे दिया गया है।

Normalization mark of j[th] candidate in i[th] session $\widehat{M}_{ij}$ is given by :

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\overline{M}_t^g - M_q^g}{\overline{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} : is the actual marks obtained by the j[th] candidate in i[th] session.

$\overline{M}_t^g$: is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions.

M_q^g : is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions.

$\overline{M}_{ti}$: is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i[th] session or marks of topper if session strength is less than 1000.

M_{iq} : is the sum of the mean marks and standard deviation of the i[th] session.

8.0 आवेदन कैसे करें :

पश्चिम मध्य रेलवे के पात्र कर्मचारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021)

a) ऑनलाईन आवेदन करने हेतु उम्मीदवार उपरोक्त वेबसाइट में दिए गए लिंक पर जायेंगे और अपनी व्यक्तिगतजानकारी/बॉयो–डाटा ध्यानपूर्वक भरेंगे।

b) उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि, उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों में समान हों।

c) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है किवे अपने वैध व्यक्तिगत मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करें एवं इन्हें समस्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान क्रियाशील रखें जिससे कि उन्हें परीक्षा संबंधी सूचना से अवगत कराया जा सके।

d) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से पश्चिम मध्य रेल की वेबसाईट की जांच करें जिससे कि उन्हें अधिसूचना से संबंधित सभी जानकारियॉ प्राप्त होती रहें। उम्मीदवारों को सभी जानकारियॉ एसएमएस/ईमेल के माध्यम से ही भेजी जायेगी। अतः उम्मीदवार स्वयं के मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी भरें।

e) उम्मीदवार को 3.5सेंटीमीटरx 3.5 सेंटीमीटर का स्वयं का स्पष्ट फोटो (तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए), बिना टोपी एवं धूप के चश्में के अपलोड करना होगा। फोटो सिर्फ जेपीईजी फार्मेट में अपलोड की जानी है। उम्मीदवार नोट करें कि फोटो अपलोड न करने अथवा पुराना फोटो/अस्पष्ट फोटो अथवा फोटो एवं उम्मीदवार में अंतर होने पर उनकी उम्मीदवारिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है किवे अपलोड की गई फोटो की एक प्रति हॉल टिकट/ई–बुलावा पत्र के साथ एवं फोटोयुक्त मूल वैध पहचान पत्र लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हों तथा फोटो की तीन प्रतियॉ चयन की अगली कार्यवाई हेतु संभालकर रखें।

f) प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन के दौरान एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है किवे यह विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर भर्ती की अन्य प्रक्रिया/जानकारी प्राप्त करने हेतु संभालकर रखें।

g) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है किवे स्वयं के हित में अंतिम तिथि 25.07.2021के पूर्व ऑनलाईन आवेदन कर देवें जिससे कि अंतिम समय में कठिनाई न हो।

9.0 ऑनलाइन आवेदन करने के चरण :

ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित संलग्नकों की प्रतियॉ जेपीईजी फार्मेट में स्कैन कर तैयार रखें।

1. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
2. हस्ताक्षर
3. जन्म तिथि, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति

a) रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर जायें : **www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021)**.

b) "GDCE Notification No: 01/2021" लिंक पर क्लिक करें

c) "**New Registration**" लिंक पर क्लिक करें

d) कर्मचारी संख्या (11 अंक) एवं जन्म तिथि को भरें एवं continue क्लिक करें।

e) व्यैक्तिक जानकारी, ईमेल पता/मोबाइल नंबर दर्ज करें, तत्पश्चात आपके द्वारा दर्ज ईमेल/मोबाईल पर एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। आपके द्वारा दर्ज ईमेल/एसएमएस के इनबॉक्स को खोलें तथा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड को नोट करें।

f) ईमेल/एसएमएस में भेजे गए रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

g) निर्देशो का पालन करें एवं पंजीकरण प्रक्रिया को चरण दर चरण पूरा करें।

h) फोटोग्राफ, जन्म तिथि, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता तथा जाति जैसे एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति अपलोड करें।

i) आवेदन जमा करें।

9.1 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :

a) जन्म तिथि का प्रमाण जैसा कि पैरा 3.1 लें उल्लेखित है।

b) आवेदन किए गए पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र।

c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों केमामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक–। के अनुसार निर्धारित प्रारुप में जारी जाति प्रमाण पत्र।

d) ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक–।। के अनुसार निर्धारित प्रारुप में जारी जाति प्रमाण पत्र। इस प्रमाण पत्र में विशेष रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार व्यक्तियों/अनुभाग (क्रीमी लेयर) सेसंबंधित नहीं है।

e) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को भी निर्धारित प्रारूप में एक स्व–घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। (इस अधिसूचना का अनुलग्नक ।।ए)

नोट : आरक्षित रिक्तियों (एससी/एसटी/ओबीसी) और / या आयु में छूट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अन्यक्षा, आरक्षण की स्थिति (एससी/एसटी/ओबीसी) के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो सामान्य (अनारक्षित) के तहत विचार किया जाएगा।

9.2 अमान्य आवेदन/निरस्त आवेदन :

a) उचित स्कैन फोटो और स्कैन किए गए हस्ताक्षर नहीं होना।

b) आवेदित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण न होना।

c) पैरा 3.1 के अनुसार जन्म का प्रमाण न होना।

d) कम आयु/अधिक आयु के उम्मीदवार।

e) आवेदन की अंतिम तिथि के समय अपेक्षित शिक्षा योग्यता नहीं होना।

f) अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड किए बिना आवेदन।

g) कोई अन्य अनियमितता।

9.3 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें :

- **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध–ई मेल आईडी को सक्रिय रखें, क्योंकि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ से सभी सूचनाएँ केवल एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएँगी।** रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई–मेल पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के साथ भर्ती प्रक्रिया/पत्राचार के आगे के चरणों के लिए अपना पंजीकरण संख्या नोट करके एवं संभालकर रखें।
- **उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना के बारे में किसी भी परिवर्तन की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए बारंबार** रेलवे भर्ती प्रकोष्ठकी वेबसाइट

पर जायें : **<u>www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021)</u>**.

- उम्मीदवारों को वैध दस्तावेजों के साथ यह प्रमाणित करना है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है।

10.0 फोटो के लिए विनिर्देश :

a. सफेद/हल्के रंग की पृष्ठभूमि के साथ रंगीन पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए।

b. उसका आकार 35 मिमी x45 मिमी या 320 x 240 पिक्सेल होना चाहिए।

c. यह जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 डीपीआई रिजॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।

d. फोटो का आकार 20–50 केवी के बीच होना चाहिए।

e. रंगीन फोटो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में लिया हुआ होना चाहिए। मोबइल से खींची गई फोटो और स्वयं के द्वारा बनाए गए पोट्रेट के मामले में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

f. फोटो में उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट एवं सामने से होना चाहिए तथा वह बिना किसी टोपी और धूप के चश्मे के हो।

g. कैमरे में देखते हुए पूरा चेहरा होना चाहिए तथा फोटो का कम–से–कम 50**%** भाग में चेहरा होना चाहिए।

h. चेहरे का मुख्य भाग सिर के बाल, किसी भी कपड़े या किसी भी परछाई से ढका नहीं होना चाहिए।

i. माथा, ऑखें, नाक और ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

j. यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फोटो में चश्में पर कोई चमक/परावर्तन नहीं होना चाहिए और ऑखें स्पष्ट रूप दिखाई देनी चाहिए।

k. फोटो को सभी सीबीटी/सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा के दिनों में उम्मीदवार के चेहरे के साथ मेल खाना चाहिए।

l. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान और जब भी आवश्यक हो, उसी फोटो की कम–से–कम 12 (बारह) प्रतियॉ आगे उपयोग के लिए रखें।

10.1 हस्ताक्षर छवि के लिए विनिर्देश :

10.2 आवेदक को 50 मिमी **x** 20 मिमी आकार वाले बॉक्स में काले रंग की स्याही से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करना होगा।

10.3 हस्ताक्षर रनिंग अक्षरों में होना चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए।

10.4 इमेज जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में और 100 डीपीआई रिजॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।

10.5 इसका आयाम 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए।

10.6 फाइल का आकार 10 केवी–40 केवी के बीच होना चाहिए।

10.7 टिप्पणी :–

- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- आवेदक के पंजीकरण के दौरान किए गए हस्ताक्षर और सभी सीबीटी/सीबीएटी/दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा के समय प्राप्त हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
- यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर का कोई मेल नहीं है, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और उम्मीदवार को रेलवे की भर्तियों (रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) में उपस्थित होने के लिए जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

11.0 **a)** अजा/अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करना :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे उम्मीदवार, जिन्होंने निःशुल्क रेल यात्रा के लिए विकल्प दिया है, उन्हें अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 50 केवी–100 केवी) की स्कैन की हुई प्रति निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपलोड करनी चाहिए।

ध्यान दें: यदि फोटो, हस्ताक्षर और अजा/अजजा समुदाय प्रमाणपत्र के लिए फाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

b) आवेदन जमा करना :

अंत में उम्मीदवारों को इस घोषणा की पुष्टि करनी होगी '' **मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदित पद के लिए पात्रता मापदंडों को अच्छी तरह तरह पढ़ लिया है और इसमें दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता हूँ तथा आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और कुछ भी छुपाया या रोका नहीं गया है। मैं यह भी भलीभाँति जानता हूँ कि यदि किसी भी मामले में कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके पश्चात् असत्य पाया जाता है, तो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ मुझे आवेदित पद के लिए अयोग्य करेगा और/या वर्तमान नियमों के अंतर्गत मेरे विरूद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।''**

उपर्युक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवार फाइल को ''पीडीएफ'' के रूप में सुरक्षित कर सकता है और/या आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे संदर्भ और रिकार्ड के लिए संरक्षित कर सकता है।

12.0 अमान्य आवेदन/निरस्त आवेदन :

निम्नलिखित कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं:

a. **अमान्य फोटो के कारण** जैसे काले एवं सफेद फोटो, टोपी पहनकर खींची गई फोटो और/या काले चश्मे, फोटो जिसकी आकृति ठीक नहीं है, छोटे आकार की फोटो, पूरे शरीर की फोटो, चेहरे का केवल एक तरफ का हिस्सा, फोटो पहचानने योग्य न हो, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, ग्रूप फोटो, सेल्फी फोटो,मोबाइल द्वारा लिया गया फोटो, संशोधित फोटो और दूसरों के बीच खाली फोटो।

b. कैपिटल/ब्लॉक अक्षर में हस्ताक्षर

c. ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 25.07.2021 तक पद के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं है।

d. निर्धारित से अधिक या कम आयु या गलत तरीके से भरी गई जन्म तिथि।

e. किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठकी किसी बहिष्कृत सूची में उम्मीदवार का नाम आना।

f. अपूर्ण या गलत भरा हुआ आवेदन।

g. अन्य कोई अनियमितता जो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के ध्यान में आए और उसके द्वारा अमान्य मानी जाए।

टिप्पणी : यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार अस्वीकृति के लिए कारण के साथ अपनी स्थिति रेलवे भर्ती प्रकोष्ठकी वेबसाइट : **www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021)** .पर ऑनलाईन देख पाएँगें, जो अंतिम और बाध्यकारी है और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। एसएमएस और ई–मेल अलर्ट उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई–मेल आईडी पर भी भेजे जाएँगे, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में सूचित किया गया है। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

13.0 सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज सत्यापन के लिए हॉल टिकट (ई–बुलावा पत्र)

13.1 सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी पर ई–बुलावा पत्र और अपलोड विवरण के संबंध में एसएमएस और ई–मेल सूचना भेजी जाएगी। डाक के द्वारा कोई भी बुलावाइपत्र नहीं भेजा जाएगा। तथापि, उम्मीदवार नियमित रूप से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर जाएँ, क्योंकि कुछ ऐसे कारणों से एमएमएस और ई–मेल उम्मीदवारों को नहीं भेजे जा सकते जिन पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का नियंत्रण ना हो।

13.2 पात्र उम्मीदवार सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन (यदा लागू) की तिथि के 10 दिन पहले से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट से ई–बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

13.3 उम्मीदवारों को ई–बुलावा पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए । निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

13.4 अजा/अजजा उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) का लाभ लेने के लिए अपने वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण अपलोड किए हैं, उनके सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन (यदा लागू) के ई–बुलावा पत्र में निःशुल्क यात्रा प्राधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई–बुलावा पत्र और अजा/अजजा प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके टिकट सुरक्षित करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान यह उम्मीदवार अजा/अजजा मूल प्रमाणपत्र और मूल निर्दिष्ट पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा।

13.5 उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में ई–बुलावा पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र (यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ई–आधार का प्रिंट (आधार की फोटो कापी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय कर्मचारी होने के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र लाना होगा। इसमें विफल रहने की स्थिति में उन्हें सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन (यदा लागू) में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नाम, जन्मतिथि और पहचान पत्र में फोटो का मिलान ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण से होना चाहिए, इसमें विफल रहने की स्थित में उन्हें सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन (यदा लागू) में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

13.6 उम्मीदवारों को सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन (यदा लागू) में शामिल होने के लिए एक रंगीन फोटो भी (35 मिमी x45 मिमी आकार का), जो कि आवेदन में अपलोड किया गया था, अवश्य ही लाना होगा।

13.7 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आते समय ई–बुलावा पत्र में दिए गए खाली स्थान को स्व घोषणा अनुच्छेद (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान स्क्रीन पर जैसा डिस्प्ले होगा), हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) के लिए खाली ही रखना होगा।

चेतावनी : उम्मीदवार को केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र में वीक्षक के समक्ष ही परीक्षा कक्ष में स्व घोषणा का अनुच्छेद, हस्ताक्षर और एलटीआई लगाना होगा और परीक्षा समाप्त होने के पूर्व उसे वीक्षक को सौंपना होगा। कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर और/या पहले से स्व घोषणा अनुच्छेद लिखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की दी जाएगी।

13.8 उम्मीदवार (रों) को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और पाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ स्वीकार नहीं करेंगे।

14.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप :

14.1 **दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ सभी दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटोकॉपी की दो प्रतियॉ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इन उम्मीदवारों को यथा लागू सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियॉ (ट्रू कलर में) दस्तावेज सत्यापन की तिथि से पहलेरेलवे भर्ती प्रकोष्ठकी वेबसाइट : www.wcr.indianrailways.gov.in(Path – About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021).के माध्यम से अपलोड करना होगा।**

14.2 सभी प्रमाणपत्र अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। हिंदी/अंग्रेजी में प्रमाणपत्रों के नहीं होने की स्थिति में जहॉ/जब भी आवश्यक हो स्वप्रमाणित अनूदित संस्करण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन

के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए।

टिप्पणी :–

i. वे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों/या आयु सीमा में छूट के लिए विचार किया जाना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक संबंधित दस्तावेज मूल प्रति में दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अवश्य ही जमा करेंगे। अन्यथा यदि उन पर लागू होता है, तो अजा/अजजा/अपिव–गैर क्रीमी लेयर होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को अनारक्षित (अना) समुदाय के लिए विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। **अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

ii. शैक्षणिक योग्यता जैसे अनंतिम/सामान्य प्रमाणपत्र में जारी तिथि होनी चाहिए। यह जारी तिथि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के बाद का होने के मामले में समेकित अंक सूची में अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम के जारी होने की तिथि या प्रत्येक सेमेस्टर के परिणाम के जारी होने की तिथि सहित प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूचियॉ जमा करनी चाहिए। इन प्रमाणपत्रों में तिथि उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा जारी (जिसमें परिणाम के जारी होने की तिथि इंगित हो) प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

15.0 छद्मरूपण/तथ्यों को छिपाना–चेतावनी :

15.1 **यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा देने के लिए भेजने, छद्म रूप धारण करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, तो उसे रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सभी परीक्षाओं में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति लेने पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।**

15.2 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को कोई गलत सूचना देने या किसी भी चरण में कोई सूचना जानबूझकर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा और रेलवे या अन्य किसी सरकारी सेवा में किसी भी नियुक्ति हेतु चयन या परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हो चुकी है, तो उस उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।

15.3 यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार की पात्रता और/या सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन (यदा लागू) परीक्षा में शामिल होने के लिए निःशुल्क यात्रा प्राधिकार सहित विशेषाधिकार पाने के लिए जाली/नकली प्रमाणपत्र/दस्तावेज जामा करते हुए पाया गया, तो उसकी उम्मीदवारी उस विशेष भर्ती के लिए रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए उसने आवेदन किया है। इसके अलावा, रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संपूर्ण देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से 2 वर्ष/या आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और आवश्यक हुआ, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

15.4 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में कोई राजनैतिक या कोई अन्य प्रभाव का इस्तेमाल या प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

16.0 विविध :

16.1 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को किसी भी चरण में अतिरिक्त परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का अधिकार है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को बिना कोई कारण बताए इस अधिसूचना में अधिसूचित कोटियों में से किसी भी कोटि के लिए किसी भी चरण में भर्ती प्रकिया या उसके किसी भी भाग को रद्द करने का अधिकार है।

16.2 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क पास जारी करने, गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों की आवंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन इत्यादि से संबंधित तमाम मामलों के संबंध में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

16.3 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ असावधानीवश हुई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे ऐसी त्रुटि को सुधारने का अधिकार है।

16.4 इस अधिसूचना के कारण उत्पन्न कोई भी कानूनी मुद्दे केवल माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

16.5 इस अधिसूचना की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठकी वेबसाइट : www.wcr.indianrailways.gov.in(Path - About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->GDCE Notification No. 01/2021).में प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

16.6 आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन : आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी आवेदन, जो किसी भी जानकारी की मॉग करता है, उस पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक विचार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

ANNEXURE "I"

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

This is to certify that Shri*/ Srimati/ Kumari* .... son/daughter* of .... Village/Town ....District/Division*...of the.....................State/Union Territory* belongs to the ....Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe under:-

*The Constitution Scheduled Castes Order 1950.
*The Constitution Scheduled Tribes Order 1950.
*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order 1956, the Bombay Re-organisation Act 1960, the Punjab Re-organisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act 1976]
The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Orders, 1956
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled *Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962
*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Orders, 1964
*The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.
*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990
*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991
*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996
*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002
*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.
2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Srimati*...father/mother*of Shri/Srimati/Kumari.. of Village/ Town* ....in District/Division*...of the State/Union Territory*..............................who belongs to the...Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the Station/ Union Territory* issued by the ....dated ....
3. Shri/Srimati/Kumari* .... and /or* his/her* family ordinarily resides in Village/Town* .... District/ Division* .... of the State/ Union Territory*of...

Place..................................
Date..................................

Signature..
Designation..
(with seal of Office)
State/ Union Territory..

* Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote the specific presidential order.
% Delete the Paragraph, which is not applicable
Note: (a) The term "ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.
1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner. 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. 3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his / her family normally reside(s). 5. Certificates issued by Gazetteed Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator/Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Admindivi Islands).

ANNEXURE "II"

OBC CERTIFICATE FORMAT

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari..son/daughter of .... of Village/Town ....in District/ Division ....in the State/ Union Territory...................................... belongs to the .... community which is recognised as a Backward Class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. .... Dated............................*.

Shri/Smt./Kum.* .... and/or his/her family ordinarily reside(s) in the...District/Division of the .... State/Union Territory.This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy layer) mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93- Estt(SCT), dated 8.9.1993 and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017**
.
Date:

DISTRICT MAGISTRATE /
DY. COMMISSIONER ETC.

(Seal)

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate as OBC.

** As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

DECLARATION

Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class Candidates at the time of document verification, who had applied for the posts against

GDCE Notification No. 01/2021

"I, ... son/daughter of Shri .... resident of Village/Town/City .... district .... State .... hereby declare that I belong to the .... (indicate your sub caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.03.1993 and its subsequent revision through O.M.No.36033/1/2013-Estt.(Res) dated 27.05.2013and 13.09.2017.

Place: Signature of the Candidate

Date: Name of the candidate